

20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय, I.P.O सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। आज अदालती कार्य बंद कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य बंद कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/2/25 को पेश हो।

11 03/2025 राजकीय सत्रावली होने पर पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य बंद कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/04/25 को पेश हो।

7/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/4/25 को पेश हो।

30/04/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीगण की ओर से पूर्व में पेशशुदा शपथ-पत्र Pw₁ ता Pw₃ को अभिलेख पर लिया जाता है। वकूलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 13.05.2025 को पेश हो।

13/05/25

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। बहस वकूलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकूलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा एवं पेशशुदा शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। प्रतिवादी सं० 1 का देहान्त हो चुका है। उक्त प्रतिवादी के विधिक वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के रूप में हैं। अतः प्रतिवादी सं० 1 के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक लिखा जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री फरमाने से सहमत है। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी पर बनने वाली स्टाम्प ड्यूटी की नियमानुसार गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा ली जाकर मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह साहू)
राजवीर सिंह साहू
उपसुपड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. पार्वती पत्नी सांवलराम जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

-वादीगण

बनाम

1. गोरादेवी पत्नी पालाराम वगैरह

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती


मुकदमा नं. 56 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू रोशनलाल अग्रवाल मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता हैं। राजीनामा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार नीमकाथाना वादग्रस्त आराजी पर बनने वाली स्टाम्प ड्यूटी की नियमानुसार गणना कर जमा योग्य राशि राजकोष में जमा ली जाकर मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के नय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें। बसवा नेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर




राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	नीमकाथाना (सीकर)
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।